निर्णय वइजलास श्री दिव्यांशु शर्मा आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :- 100/ 12

दायरा दिनांक :- 19.11.2012

निर्णय दिनांक:- 31-03-2022

उनवान

श्रीमती फूला बाई पत्नी श्री नंदकिशोर जाति गुर्जर निवासी सोहन जी माली की बाड़ी बारां

बनाम

1. घनश्याम पुत्र सीताराम जाती माली
2. चौथमल पुत्र सीताराम जाति माली
3. श्रीमती बेरी बाई पत्नी सीता राम जाति माली निवासी आंकेड़ा की झोपड़ियां तहसील बारां
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बारां

प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक:-31-03-2022

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट विरुद्ध प्रार्थी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थिनी ने ग्राम आकेड़ा तहसील बारां जिला बारां के खसरा नंबर 348 रखवा 0.62 हेक्टेयर भूमि खरीद की है तथा वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में प्रार्थीया भूमि की खातेदार टेनेंट अंकित है। पूर्व में उक्त भूमि सीताराम पुत्र लक्ष्मण जाती माली के खाते में दर्ज थी सीताराम जी का देहांत हो गया है तथा प्रार्थी नंबर 1 लगाए 3 सीताराम जी देहांत एवं कायम मुकाम हैं प्रार्थिनी के उत्तर की ओर अप्रार्थी गण की कृषि भूमि स्थित है जिसमें खसरा नंबर 349 रकबा 0 .54 हेक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

एवं खसरा नंबर 350 रकबा 0.05 हेक्टेयर है। अप्रार्थी गण के खेत खसरा नंबर 349 एवं 350 के उत्तर में आम रास्ता है जो करीब 27 फीट चौड़ा है तथा यह रास्ता नारेडा से ग्राम आंकेड़ा एवं जालेरा जाने वाले रास्ते से मिलता है है प्रार्थी के खेत में पूर्व में भी सरकारी रास्ते से अप्रार्थी गण के खेत खसरा नंबर 349 एवं 350 में से होकर ही आते जाते रहे हैं तथा प्रार्थीया द्वारा खेत खरीदने के उपरांत भी प्राथिनी अपने खेत खसरा नंबर 348 में अप्रार्थी गण के खेत खसरा नंबर 349 एवं 350 में से मेड के सहारे सहारे होकर ही आती-जाती रही है। अप्रार्थी गण अब प्रार्थी या को अपने खेत में आने जाने के लिए पूर्व से काम में ले रहे रास्ते में से जाने में अवरोध पैदा करने लगे हैं जिससे प्रार्थी या का अपने खेत में कृषि कार्य करना कठिन हो गया है प्रार्थी आके अपने खेत में जाने का खसरा नंबर 349 एवं 350 में से होकर जाने के लिए ब्लूप्रिंट में दर्शाए गए रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि की बाजार कीमत भी अप्रार्थी गण को अदा करने के लिए तैयार है तथा इस भूमि को प्रार्थी या रास्ते के अलावा किसी अन्य कार्य में नहीं लेगी। बिना इमदाद अदालत अप्रार्थी गण प्रार्थीया को अपने खेत में जाने के लिए रास्ता देने को तैयार नहीं है इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का बाद कारण दिनांक 20 11 2012 को अप्रार्थी गण द्वारा उनके खेत खसरा नंबर 349 एवं 350 में होकर प्रार्थीया को अपने खेत खसरा नंबर 348 में जाने से मना करने पर उत्पन्न हुआ प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जरिए सम्मन्न तलब किया गया । प्रतिवादी गण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादिया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम आंकेड़ा संवत 2066 [illegible] खाता संख्या 144 पेश की गई नकल जमाबंदी ग्राम आंकेड़ा संवत 2066 से [illegible] पेश की गई नकल जमाबंदी ग्राम आंकेड़ा संवत 2058 से 2061 खाता संख्या 153 पे[illegible] की गई नकल नक्शा ट्रेस संवत 1966 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

68 नकल नक्शा ट्रेस दिनांक 23 .10 .2012 पेश किया गया नकल नक्शा ब्लूप्रिंट पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया वकील प्रार्थी का का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम आंकेड़ा में स्थित है प्रार्थी की भूमि पर जाने हेतु खसरा नंबर 349 एवं 350 के उत्तर में आम रास्ता है जो करीब 27 फीट चौड़ा है खसरा नंबर 349 व 350 की भूमि प्रतिवादी गण के खातेदारी की है। प्रार्थी या अपने खेत खसरा नंबर 348 पर जाने हेतु खसरा नंबर 349 वाह 350 की मेड के सहारे सहारे होकर आती जाती है उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के खेत पर जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है प्रार्थी या खसरा नंबर 349 एवं 350 की मेड के सहारे सहारे दिए जाने वाले रास्ते के अलावा अन्य किसी कार्य में उपयोग नहीं करेगी रास्ते में दी जाने वाली भूमि के बदले प्रार्थी या वर्तमान डीएलसी दर से रुपए देने के लिए तैयार है प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नंबर 349 एवं 350 की मेड पर होकर 10 फीट चौड़ा रास्ता दिया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी गण सुनी गई पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम आंकेड़ा संवत 2066 से 2069 खाता संख्या 144 में फूला बाई पत्नी नंदकिशोर जाति गुर्जर साकिन बारां के नाम दर्ज रिकॉर्ड है नकल जमाबंदी ग्राम आंकेड़ा संवत 2066 से 2069 खाता संख्या 238 के अनुसार प्रतिवादी घनश्याम चौथमल वेरी-वेरी के खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबंदी ग्राम आंकड़ा संवत 2058 से 2061 खाता संख्या 153 के अनुसार संपूर्ण आराजी सीताराम पुत्र लक्ष्मण जाती माली के खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है प्रस्तुत नकल नक्शा ट्रेस ब्लूप्रिंट के अनुसार 27 फीट आम रास्ते से खसरा नंबर 349 एवं 350 की भूमि की मेड के सहारे सहारे प्रार्थी या फूला बाई पत्नी नंदकिशोर गुर्जर के खसरा नंबर 348 पर जाने का रास्ता दर्शाया गया है उक्त रास्ते के संबंध में तहसीलदार बारां से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई तहसीलदार बारां द्वारा अपनी रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

में बताया कि वादिया अपने खाते की भूमि खसरा नंबर 348 में जाने हेतु खसरा नंबर 349 एवं 350 में से 10 फीट चौड़ा रास्ता चाह रही है मौके पर नारेडा से पाटेडा रोड आंकेड़ा की झोपड़िया के सामने पश्चिम की ओर सरकारी रास्ता खसरा नंबर 345 के समीप प्रतिवादी गण के खाते की भूमि खसरा नंबर 349 एवं 350 और 682/ 384, 684/350 स्थित है कि दक्षिण दिशा में वादी का खसरा नंबर 349 व 339 एवं 341 के मध्य की मेड से आता जाता है मुताबिक रिकॉर्ड खसरा नंबर 349 एवं 350 मुकेश कुमार पुत्र रमेश चंद सोनू कुमार पुत्र रमेश चंद माली साकिन देह के नाम दर्ज है तथा खसरा नंबर 682/349 एवं 684/350 देवकी बाई पत्नी कस्तूरचंद जाति माली निवासी बारां के नाम दर्ज है प्रतिवादी गण कि उक्त आराजी में से 20 फुट का रास्ता देने पर 0.06 हेक्टेयर यानी कि 600 वर्ग मीटर भूमि रास्ते के रूप में दी जा सकती है। प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं तहसीलदार बारां की रिपोर्ट के आधार पर खसरा नंबर 349 एवं 350 की मेड से प्रार्थी या को 10 फीट का रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम आंकेड़ा तहसील बारां के खसरा नंबर 349 एवं 350 की भूमि में से 10 फीट चौड़ा रास्ता प्रतिवादी गण के खाते की भूमि मैं से खसरा नंबर 348 में जाने का रास्ता कायम किया जाता है तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते में दिए जाने वाली भूमि के बदले वर्तमान डीएलसी दर का दोगुना राशि जमा करावे। प्रार्थी द्वारा रास्ते के बदले जमा की गई राशि का भुगतान खसरा नंबर 349 एवं 350 के खातेदारान को किया जावे बाद भुगतान रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल बरामद किया जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:17 IST
Reason: SelfAttested

दिव्यांश शर्मा
आर ए एस
उपखंड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner